**न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (SC/ST (PoA) Act), सिद्धार्थनगर।**

UPSD010000692026

Criminal Misc. Cases/6/2026

1. सुशीला देवी पत्नी धनई
साकिन वार्ड सं०–5 अटल नगर न०पं० विस्कोहर थाना त्रिलोकपुर जिला–सिद्धार्थनगर।

**–––प्रार्थिनी**

**बनाम**

1. राकेश त्रिपाठी पुत्र स्व० यदुवंश त्रिपाठी
तत्कालीन चौकी इंचार्ज विस्कोहर थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

**––––विपक्षी**

अन्तर्गत धारा– 173(4) बीएनएसएस
थाना– त्रिलोकपुर, जिला–सिद्धार्थनगर।

**दिनांकः–17–03–2026**

**निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बीएनएसएस**

1. पीड़िता पत्नी धनई के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस प्रस्तुत किया गया है कि वह अनुसूचित जाति की महिला है तथा नगर पंचायत बिस्कोहर में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत है तथा दिनांक 28.06.2024 को समय सुबह 08.00 से 09.00 के बीच जब वह अपनी ड्यूटी पर थी तो उसी समय नगर पंचायत अध्यक्ष के विरूद्ध थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर द्वारा मु०अ०सं० 93/2024 अंकित किया गया जिसमें 20–30 अज्ञात लोगों का भी नाम डाला गया। आवेदिका के अनुसार विवेचक राकेश त्रिपाठी के कम्पाउन्ड में जाकर आवेदिका साफ सफाई करती थी तथा उक्त विवेचक चौकी विस्कोहर के इंचार्ज थे व वहीं प्रथम तल पर रात्रि विश्राम भी करते थे तथा आवेदिका चौकी इंचार्ज के कमरे की साफ सफाई करती थी तो दरोगा उन्हें बुरी नजर से देखते थे व दिनांक 29.06.2024 को जब आवेदिका दरोगा श्री राकेश त्रिपाठी / विवेचक के मकान की सफाई कर रही थी तो उसी समय उनके द्वारा आवेदिका को पकड़ लिया गया व उनके कपड़े निकालकर फेंकते हुए बलात्कार का प्रयास किया गया जिसपर उसके चिल्लाने पर नीचे खड़ी अमीशा पत्नी संतोष भागते हुए कमरे में आयी व बीच बचाव किया जिसपर दरोगा जी ने माँ बहन की गाली देते हुए जाति सूचक शब्द कहे व यह भी कहा कि अध्यक्ष जी वाले मुकदमें में आवेदिका को जबरन फंसा देंगे। आवेदिका के अनुसार घटना के पश्चात् वह सदमें में थी तथा विपक्षी के जिले में ही पदस्थ रहने के कारण वह शिकायत न करने की धमकी दिये जाने के कारण जब राकेश त्रिपाठी का स्थानान्तरण हुआ तब यह आवेदन प्रस्तुत कर रही है।

2. चूंकि विपक्षी तत्कालीन चौकी इंचार्ज पुलिस चौकी विस्कोहर थाना त्रिलोकपुर के रूप में घटना की तिथि को पदस्थ थे अतः सम्बन्धित प्रकरण के संदर्भ में विपक्षी की पर्यवेक्षक अधिकारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से मामले की जाँच कराकर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु नोटिस जारी की गयी तथा प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में विपक्षी से जवाब मांगा गया।

3. विपक्षी द्वारा अपने जवाब का०सं०–13 ख में आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप असत्य बताते हुए यह कथन किया गया है कि उसके चौकी प्रभारी विस्कोहर में तैनाती के दौरान नगर पंचायत विस्कोहर के वार्ड नं०–8 मालवी नगर में स्थित एक पुराने कुएं को पाटने को लेकर विवाद हुआ तथा दिनांक 28.06.2024 को नगर पंचायत अध्यक्ष अजय गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ लाठी डण्डा, कुदाल, बेलचा व जेसीबी मशीन के साथ आपत्तिजनक नारेबाजी पुलिस के विरूद्ध

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.17 16:31:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करते हुए बलरामपुर इटवा मुख्य मार्ग को अवरूद्ध कर धरने पर बैठ गये तथा समझाने पर भी अजय गुप्ता नहीं माने जिसपर आमजन को समस्या उत्पन्न होने के कारण उनके द्वारा थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गयी व अजय गुप्ता सहित कुछ लोगों के नाम नामजद तथा तीस सफाई कर्मियों के विरूद्ध मु०अ०सं० 93/2024 पंजीकृत करा दिया जिसपर अजय गुप्ता द्वारा उन्हें देख लेने की धमकी दी गयी थी तथा नगर पंचायत अध्यक्ष अजय गुप्ता सहित जो उनके अन्य सहयोगियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था उसमें आवेदिका भी अभियुक्त बनायी गयी थी तथा घटना की गवाह बतायी जा रही अमीशा पत्नी संतोष द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष चंदन लारी के विरूद्ध इसी प्रकार का पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि मात्र रंजिशन व द्वेषपूर्ण भावना के तहत किया गया है।

**4.** अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट दिनांकित 25.02.2026 में भी यही रिपोर्ट दी गयी है कि दिनांक 28.06.2024 को नगर पंचायत अध्यक्ष विस्कोहर श्री अजय गुप्ता व अन्य काफी संख्या में व्यक्ति वार्ड 16 फूलपुर निवासी सलमान के घर के सामने स्थित कुए की खुदाई करने हेतु जेसीबी लेकर पहुँच गये जिसकी सूचना पर चौकी प्रभारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुँचे व वहाँ मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया व उसी दिन करीब 08.30 बजे नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में कई व्यक्ति, सफाई कर्मी, कर्मचारी व समर्थक जेसीबी लेकर आए व चौकी को घेर लिया तथा मुख्य सड़क जाम कर दी जिससे यातायात प्रभावित हुआ, आमजन में भय व्याप्त हुआ व उसी घटना में उ०नि० राकेश त्रिपाठी तत्कालीन चौकी प्रभारी विस्कोहर द्वारा दी गयी तहरीर सूचना के आधार पर थाना त्रिलोकपुर पर अपराध संख्या 93/2024 धारा 147,149,341,186 भा०दं०सं० व 7 सीएलए एक्ट बनाम अजय गुप्ता आदि कुल 11 नामजद व 20–30 अज्ञात लोगों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया जिसमें से विवेचना के दौरान कुल 27 लोगों के नाम प्रकाश में आए तथा कुल 38 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया जिसमें से एक अभियुक्त प्रस्तुत मामले की आवेदिका है। इस प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उ०नि० राकेश त्रिपाठी द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किया जाना सम्भव प्रतीत न होने की रिपोर्ट देते हुए मात्र अपराध सं०–94/2024 में आरोपपत्र प्रेषित होने के फलस्वरूप उ०नि० राकेश त्रिपाठी पर अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से मनगढ़न्त आरोप लगाये जाने का निष्कर्ष दिया गया है।

**5.** स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा स्वयं अपने आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि दिनांक 28.06.2024 को समय 08–09 बजे सुबह नगर पंचायत अध्यक्ष के विरूद्ध मु०अ०सं० 93/2024 थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर द्वारा अंकित किया गया जिसमें 20–30 लोगों का नाम अज्ञात में डाला गया। महत्त्वपूर्ण यह है कि विपक्षी राकेश त्रिपाठी दिनांक 28.06.2024 व 29.06.2024 को चौकी इंचार्ज विस्कोहर के पद पर तैनात थे तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.06.2024 को जो न०पं० अध्यक्ष विस्कोहर व 20–30 अन्य के विरूद्ध मु०अ०सं० 93/2024 दर्ज किया गया उसके वादी विपक्षी राकेश त्रिपाठी ही थे तथा यह भी स्पष्ट है कि घटना दिनांक 29.06.2024 को होनी कही जाती है परन्तु घटना की सूचना हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 07.01.2026 को अर्थात पूरे डेढ़ वर्ष बाद दायर किया गया है। महत्त्वपूर्ण यह है कि आवेदिका द्वारा जनवरी 2026 से पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष घटना के संदर्भ में शिकायत किये जाने के कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किये हैं।

**6.** आवेदिका अपने आवेदन में दिनांक 29.06.2024 को विपक्षी के मकान की सफाई करने का कथन किया है जबकि घटना घटी परन्तु आवेदिका जो कि न०पं० की सफाईकर्मी है को किसी व्यक्ति या शासकीय कर्मी के आवास की सफाई की जिम्मेदारी क्यों दी जायेगी यह स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अपने आवेदन के पैरा चार में घटना की तिथि तो बतायी गयी है परन्तु घटना का कोई समय नहीं बताया गया है, न ही घटना की तिथि को उसकी बतौर सफाईकर्मी ड्यूटी न०पं० विस्कोहर के किस इलाके में लगी थी व कितने बजे से कितने बजे तक के लिए थी, इस सम्बन्ध में कोई ड्यूटी चार्ट प्रस्तुत किया गया है।

7. आवेदिका ने अपने आवेदन में प्रश्नगत घटना के कारण स्वयं को किसी प्रकार की चोट आने सम्बन्धी कोई कथन नहीं किया है बल्कि अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी उ०नि० राकेश त्रिपाठी द्वारा थाना त्रिलोकपुर में दिनांक 28.06.2024 की घटना को लेकर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट न०पं० अध्यक्ष व 20–30 अन्य के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी, उसमें प्रस्तुत प्रकरण की आवेदिका भी अभियुक्त है व उक्त प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

8. स्वयं आवेदिका के प्रस्तुत आवेदन के पैरा तीन के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस चौकी विस्कोहर के प्रथम तल पर ही विपक्षी उ०नि० राकेश त्रिपाठी के विश्राम किये जाने का उल्लेख है परन्तु पुलिस चौकी कोई एकान्त की जगह नहीं है बल्कि वहाँ अन्य पुलिस कर्मी व जनमानस मौजूद रहते हैं। घटना रात्रि की नहीं कही जा रही है। ऐसे में उ०नि० जैसे महत्त्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर नियुक्त विपक्षी पर पुलिस चौकी में ही स्थित सरकारी कमरे में आवेदिका के साथ दिनांक 29.06.2024 को बलात्कार की कोशिश करने की घटना कारित करने का तथ्य कत्तई विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। यही नहीं अपराध संख्या 93/2024 थाना त्रिलोकपुर में दर्ज करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष चन्दन लारी के विरूद्ध भी इसी प्रकार की घटना दर्शाते हुए इस मामले की गवाह अमीशा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जिससे यही प्रतीत होता है कि आवेदिका ने अपने अनुसूचित जाति के सदस्य होने का फायदा उठाते हुए व महिला सफाई कर्मी होने के कारण मात्र अ०सं०– 93/2024 में स्वयं को अभियुक्त बनाये जाने के द्वेष व रंजिशवश विपक्षी उ०नि० राकेश त्रिपाठी के विरूद्ध यह झूठा आवेदन प्रस्तुत किया है तथा अपर पुलिस अधीक्षक की जाँच रिपोर्ट व उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध प्रकट न होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

9. आवेदिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**दिनॉकः–17–03–2026**

**(मनोज कुमार तिवारी– I)**
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736